

01/12/20

प्राची के मूलवाद में प्रस्तुत आवेदन पर पहावली सींगे से तलब की गई। प्राची की ओर से मूलवाद में अधिवक्ता श्री अंबुजा विचारी ने बकाबाबनाम पेश किया, प्राची की पहचान उनके अधिवक्ता श्री अंबुजा विचारी ने की। इस प्रकरण से संबंधित मूलवाद प्रकरण सं. 318/2018 को वाही डारा विद्रा कर लिया गया। मूलवाद विद्रा टैकर खारिज हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
अतः प्राची का प्रार्थना-पत्र धारा-212 रा. का. अर्थिक इसी स्टेज पर खारिज किया जा रहा है। पहावली पेंसल शुमार टैकर नम्बर से काम हो रहा है।

नारायण लाल

Ex. bu me

June 2018

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (सज.)



सत्यमेव जयते

Water Copy - Not Official

